आदेश पत्रक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

श्रीमती विजय लक्ष्मी बनाम आनन्द शर्मा

मुकदमा संख्या/वर्ष 175/2023 : _____/20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/6/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पुनः अगले दिनांक 3/7/24 को पेश हो।
	3/7/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष द्वारा 10/7/24 को अपील के साथ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	10/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष द्वारा मूल अपील के साथ दि० 18/7/2024 को पेश हो।
	18/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पक्ष दी०आई० सुनी गई। उभयपक्ष उभयपक्ष पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन करने पर मूल अपील के निस्तारण तक डाइवर्शन (भू०रू०) के पक्षे अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन किया जाता है कि वादी ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तह० सांगानेर [illegible] खसरा नम्बर 1292, 1720, 1721 [illegible], 1727, 1728 के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। [illegible] कुमार धीकर दर्ज नम्बर के कब्जा व कब्जा तकरीब डाबिक दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:44:49 IST
Reason: SelfAttested